

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- 566/प्रवर्तन/स0सु0/1-8(3)/2018
सेवा में,

दिनांक 14 जून, 2018

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया सचिव, मा0 सड़क सुरक्षा समिति के पत्र संख्या-3/2018/सीओआरएस दिनांक 13-06-2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित 02 बिन्दुओं पर दिनांक 18-06-2018 तक अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है:-

(i) Item-9 - Road Safety Audit

This direction relates to the capacity building of Road Safety Engineers. The Committee has directed the States/UTs to prepare annual calendars for imparting training to road safety engineers in Road Safety. It may please be specifically indicated whether the annual calendars for imparting training to Highway Engineers in Road Safety has been prepared by the State and the Highway Engineers are being trained in Road Safety.

(ii) Item-20 - Permanent Road Safety Cell

It may please be indicated whether Road Safety (Engg) Cell has been set up in PWD by the States/UTs.

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त दोनों बिन्दु लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है। अतः संदर्भित पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया वांछित आख्या दिनांक 16-06-2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आख्या मा0 समिति को प्रेषित की जा सके।
संलग्न-यथोक्त।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।